रजिस्ट्री सं० डी० 222 | REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3, 1971/चैत्र 13, 1893

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3 1971/CHAITRA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये।

The undermentioned Gazette of India Extraordinary were published up to the 22nd February 1971:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
6	G.S.R. 67, dated 11th January, 1971.	Ministry of Home Affairs.	Proclamation by the President of assuming all powers and functions of the State of Orissa.
	G.S.R. 68, dated 11th January 1971.	Ditto.	All powers and functions of the President will be exercised by the Governor of the State of Orissa.
7	G.S.R. 69. dated 12th January 1971.	Ministry of Finance	Further amendment in the Notification of the Govt. of India, in the Ministry of Finance (Deptt. of Rev.& Insurance) No. 104—Customs, dated the 6th June 1966.
	सा० का० नि० 69 दिनांक 12 जनवरी, 1971	वित्त मंत्रालय	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 104, सीमाशुल्क, तारीख 6 जून 1966 में और आगे संशोधन।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा आदि में निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षायें, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती थी। आयोग अब ये परीक्षायें आयोजित नहीं करेगा। कार्मिक विभाग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय के सचिवालय प्रशिक्षण शाला ने अब यह कार्य संभाल लिया है। चूंकि खुली प्रतियोगिता परीक्षा और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा सम्बन्धी सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा नवम्बर, 1970 में जारी कर दी गई थी इसलिए भारतीय विदेश सेवा, शाखा, 'ख' (द्वतीय संशोधन) नियम 1969 को पूर्वव्यापी प्रभाव देना आवश्यक था, ताकि सचिवालय प्रशिक्षण शाला, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के वर्ग 6 मे भर्ती के लिए परीक्षाए आयोजित करने मे समर्थ हो सके।

2. उपर्युक्त नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर जारी करने से किसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 45/जी० ए०/71]

रणधीर सिंह, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th March 1971

G.S.R. 477.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely.—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial No. 4 "Transport Assistant" for the entries in columns 5 and 7, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"Not applicable"—By promotion of Motor Drivers in the office concerned with five years experience as Motor Drivers and having passed Matriculation examination, failing which by direct recruitment.

[No. 1/7/70-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 477.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 4 "यातायात सहायक" के सामने कालम 5 और 7 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

"लागू नहीं होता"

"सम्बन्धित कार्यालय के उन मोटर ड्राइवरों, जिन्हें मोटर ड्राइवर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो और जो मैट्रिक पास हों, की पदोन्नति द्वारा; ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।"

[संख्या 1/7/70-बी० (ए)]

ए० बी० नारायणन्, अवर सचिव।

New Delhi, the 19th March 1971

G.S.R. 478.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Censorship) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the Cinematograph (Censorship) Rules, 1953, for Form V, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM V

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CENSORS

Certificate for exhibition restricted to ADULTS only

(Persons below 18 *not* admitted)

(Film)..

(Gauge) .... (Length) .... (Meter) .... (Real).........

(Certificate No.) ....

(Date of issue) ....

(Date of expiry) ....

1. (This certificate has been issued, in accordance with Rule 24/28 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958 framed under the Cinematograph Act, 1952).

2. (In the event of a copy of the film being prepared in a gauge other than that mentioned in the certificate, the certified length shall be deemed to be the corresponding length appropriate to that gauge).

3. Name of applicant.

4. Name of Producers.

Date:

[No. 5/1/71-F(C).]

VIRENDRA D. VYAS,
Director.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 478.—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात्—

1. (1) इन नियमों को चलचित्र (सेंसर) संशोधन नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 की अनसूची में प्ररूप 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् —

"प्ररूप 5

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड

(केवल वयस्कों के लिए अनिबन्धित लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र)

(18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए प्रवेश निषेध)

(फिल्म) ——————————————

(गेज) ——————(लम्बाई)————मीटर) ————(रील) ———

(प्रमाण पत्र संख्या)——————————————

(प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख)——————————

(अवसान की तारीख) ——————————

---

1. (यह प्रमाणपत्र चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 24/28 के अनुसार दिया गया है)।

2. (उस दशा में जब कि फिल्म की प्रति उस गेज में तैयार की जाती है जो प्रमाणपत्र में वर्णित गेज से भिन्न है, तो प्रमाणिक लम्बाई वह समझी जाएगी जो उस गेज के अनुरूप तत्सम लम्बाई हो)।

3. आवेदक का नाम .....

4. निर्माता का नाम ...

तारीख ".

[संख्या 5/1/71-एफ (सी)]

वीरेन्द्र देव व्यास, निदेशक।